

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री  
अनवान

वादीगण  
1. राधा पुत्री जामाराम (माता चुनी)  
पत्नी रामाराम जाति मेघवाल  
निवासी बाड़मेर आगोर हाल  
निवासी अम्बेडकर कॉलोनी बाड़मेर  
2 लुणाराम पुत्र जामाराम 3 शेराराम  
पुत्र जामाराम जाति मेघवाल  
निवासी मेगवालों के टांके के पास  
बाड़मेर आगोर तहसील व जिला  
बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 पोकरराम 2 चांपाराम पिसरान रूगनाथ 3  
केकूदेवी पत्नी पूनमाराम 4 नवलाराम 5 शंकराराम  
पिसरान मकाराम 6 गोकलाराम पुत्र मकाराम फौत  
के कायम मुकाम 6/1 मोहनलाल 6/2 नरसिंग  
6/3 परमेश पिसरान गोकलाराम 7 टाऊराम पुत्र  
बींजाराम फौत के कायम मुकाम 7/1 रेखादेवी  
पत्नी टाऊराम 7/2 मोहनलाल 7/3 मांगीलाल  
7/4 मदन पिसरान टाऊराम जाति मेघवाल  
निवासी बाड़मेर आगोर (मेगवालों के टांके के पास)  
8 जसराज सोनगरा पुत्र सुन्दरलाल जाति जीनगर  
निवासी बाड़मेर आगोर 9 उम्मेदाराम कोडेचा पुत्र  
हरचन्द्रराम निवासी नोखड़ा के कायम मुकाम 9/1  
पेमी पत्नी उम्मेदाराम 9/2 मोहन पुत्र उम्मेदाराम  
9/3 प्रकाश पुत्र रूगाराम 10 लुम्बाराम पुत्र  
खगाराम 11 द्वारकाराम पुत्र नगाराम जाति मेघवाल  
निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर  
12 तहसीलदार बाड़मेर।

दावा बाबत् 88, 91 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 16/2018

निर्णय दिनांक :- 02/08/23

वकील वादीगण व वकील प्रतिवादी संख्या 04, 05, 07, 9/1, 9/2 व 10 की  
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02/08/23 को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया  
जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि:-

वादीगण का वाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 02.08.2023 अन्तर्गत आदेश  
23 नियम 01 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर धारा 53 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम विलोपित की जाती है। मौजा बाड़मेर आगोर पटवार हल्का बाड़मेर  
आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 2064 रकबा 57.07 बीघा भूमि में वादीगण  
का वादग्रस्त भूमि में 166.75/1147 हिस्सा अर्थात् 08.06.15 बीघा भूमि में वादी संख्या 01  
से 03 का बहिस्सा बराबर खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार  
राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह आज तारीख 02/08/23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा  
लगाकर दी गई।

(समदरसिंह भाटी)  
पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर,  
(एसडीओ) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील	जोड़		जोड़